कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग अयोध्या

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश
(दूरभाष/फैक्स– 05278-261749, ई-मेल– dfofaizabad@rediffmail.com, dfofaizabad@gmail.com)

पत्रांक /14–4 दिनांकःअयोध्याः 06-07- 2019

सेवा में

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सामाजिक वानिकी, सरयू वृत्त
अयोध्या।

विषयः– जनपद– फैजावाद में आई0ओ0सी0एल0 द्वारा इलाहावाद–फैजावाद रा0मा0 सं0–330 के किमी0 132 से 133 के मध्य बायी पटरी पर ग्राम– नैपुरा, तहसील– सोहावल, जनपद–फैजावाद में न्यू रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग हेतु 0.0840 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्वन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक 4724/14–10 दिनांक 18.06.2019 एवं मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 1438/11–सी–यू0पी0–039/2015 दिनांक 18.01. 2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 2754/11–सी–यू0पी–039/2015 दिनांक 23.06.2016 द्वारा लगायी गयी आपत्ति के कम में वांछित विन्दुओं की आख्या निम्न प्रकार हैः–

1. क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्राक्कलन में 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 100 वृक्षों का अनुरक्षण कार्य 10 वर्ष का अनुमानित विस्तृत प्राक्कलन संलग्न कर प्रेषित है।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्व में जमा की गयी धनराशि के सम्वन्ध में दिनांक 28.12.2018 द्वारा मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी उ0प्र0 कैम्पा लखनऊ को सम्वोधित एवं वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ सहित अधोहस्ताक्षरी को पृष्ठांकित है, में अवगत कराया गया है कि जमा किया गया धनराशि कैम्पा परिवेश साइट पर परिलच्छित हो रहा है।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा किया गया एन0पी0वी0 की धनराशि उक्त अवधि में 9.20 लाख प्रति हे0 की दर से जमा कराया जाना था, जो उनके सहमति द्वारा जमा किया गया है जो राजकीय हित में है।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्व में भारत सरकार के कैम्पा कोष में जमा की गई धनराशि रू0 22386.00 व रू0 77280.00 रसीद की फोटोप्रति एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कैम्पा कोष में जमा धनराशि की मिलान सम्वन्धी उपलब्ध करायी गयी मिलान शीट तथा दिनांक 28.12.2018 पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ द्वारा लगायी गयी क्षतिपूरक वनीकरण के अनुरक्षण की धनराशि में आपत्ति के कम में संशोधित प्राक्कलन की धनराशि रू0 64407.00 में से रू0 22386.00 घटाने पर अवशेष क्षतिपूरक वनीकरण की धनराशि रू0 42021.00 की धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण से जमा कराया जा रहा है।

अतः उपरोक्त की दो–दो प्रतियॉ संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि अपने स्तर से मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ को भेजने की कृपा करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डा0 रवि कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
वन प्रभाग अयोध्या।

——पेज–2 पर——

Scanned by CamScanner

पत्रांक 89 / उक्तदिनांकित ।

1– प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2– प्रतिलिपि– श्री वी0पी0 सिंह, सहायक प्रबन्धक (खु0वि0) फैजाबाद विकी क्षेत्र, आई0ओ0सी0एल0 चन्द्रकान्ता भवन, न्यू बुद्धनगर कोलानी देवरिया वाईपास तारामण्डल रोड गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त धनराशि रू0 42021.00 उ0प्र0 कैम्पा को ई–पेमेन्ट, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक एफ0नं0–11–100/2015–एफ0सी0 (Vol-iii) दिनांक 16.10.2018 एवं मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 कैम्पा, लखनऊ का पत्रांक 591/2–37–2 दिनांक 18.10.2018 तथा आज तक निर्गत आदेशों/ निर्देशों के अनुसार ई–पेमेन्ट के माध्यम से जमा कराकर रसीद की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करे एवं उ0प्र0 शासन के पत्रांक पी–60/14–2–2016–800(25)/ 2016 दिनांक 29.04.2016 सैद्धान्तिक स्वीकृति में बिन्दु–1 से 29 तक तथा मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 1438/11–सी–यू0पी0–039/2015 दिनांक 18.01.2019 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है कि उक्त दोनो पत्रों में दिये गये निर्देशों का अनुपालन आख्या अभिलेखों सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराये ताकि विधिवत् स्वीकृति हेतु उच्च स्तर को प्रेषित किा जा सके।

संलग्नकः– उपरोक्त पत्र की छायाप्रति।

(डा0 रवि कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
वन प्रभाग अयोध्या।